एनएचपीसी लिमिटेड

संबंध पक्ष संव्यवहारों की महत्ता और संबंध पक्ष संव्यवहारों के साथ व्यवहार संबंधी नीति

इस नीति की अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच किसी भी विसंगतियों के मामले में, पॉलिसी का अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।

1. प्रयोज्यता और लागू होने की तारीख

कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहार को विनियमित करने के लिए यह संशोधित नीति 01 अप्रैल, 2022 से लागू होगी ।

2. उद्देश्य:

इस नीति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाद्धताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के विनियम 23 के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहार की उचित अनुमोदन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है । यह नीति कंपनी की अन्य नीतियों और प्रथाओं / शक्तियों का प्रत्यायोजन / नियमावली आदि की पूरक होगी ।

3. परिभाषाएं

3.1. "**अधिनयम**" का अर्थ कंपनी अधिनियम , 2013 और इसके तहत बनाए गए नियम या समय- समय पर संशोधित नियम है ।

3.2. "**आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन**" कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित के अनुसार होगा ।

3.3. **"एसोसिएट कंपनी"** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) में परिभाषित के अनुसार होगी ।

3.4. **"लेखापरीक्षा समिति"** का अर्थ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति है ।

3.5. **"निदेशक मंडल" या "बोर्ड"** का अर्थ एनएचपीसी लिमिटेड का निदेशक मंडल से है ।

3.6. **"कंपनी"** का अर्थ एनएचपीसी लिमिटेड है ।

3.7. **"सरकारी कंपनी"** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित होगी ।

3.8. **"स्वतंत्र निदेशक"** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और एलओडीआर के विनियमन 16(1) (ख) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

3.9. **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक"** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित किया जाएगा ।

3.10. **"महत्वपूर्ण संशोधन (ओं)"** का अर्थ संबंधित पार्टी संव्यवहार के पहले से संस्वीकृत कुल प्रतिफल (कर संरचना में परिवर्तन के कारण मूल्य/प्रतिफल में वृद्धि को छोड़कर) के 10% से अधिक द्वारा प्रतिफल के मूल्य में वृद्धि / कमी है ।

3.11. **" महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहार"** का अर्थ एलओडीआर के विनियम 23 के तहत विनिर्दिष्ट संबंधित पार्टी के साथ संव्यवहार और कंपनी(बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली ,2014

समय-समय पर यथा संशोधित, के नियम 15 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार है ।

3.12. **" व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली** " में शामिल व्यवसाय के लिए आवश्यक, सामान्य और आकस्मिक गतिविधियों के लिए एक मद/अर्थ तक सीमित नहीं रखा गया है । व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली की मद/अर्थ निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जा सकता है :

(i) विशेष व्यवसाय (अर्थात सुविधाएँ, प्रणाली, प्रक्रियाएँ, विज्ञापन, स्टाफ प्रशिक्षण, आदि)के लिए सामान्य या अन्यथा है ।
(ii) बारंबार और नियमित होता है ।
(iii) व्यवसाय के लिए आय का एक स्रोत है ।
(iv) संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन / निवेश शामिल है ।
(v) ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा या उत्पाद में शामिल है ।

" नीति

3.13. **नीति"** का अर्थ ' संबंधित पक्ष संव्यवहारों की महत्ता और संबंधित पक्ष संव्यवहारों के साथ व्यवहार संबंधी नीति' है ।

3.14. "**विनियमन"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाद्धताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) समय-समय पर यथा संशोधित या संशोधित है ।

3.15. **"संबंधित पक्ष"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) और एलओडीआर के विनियम 2(1)(जेडबी) के तहत परिभाषित संबंधित पक्ष है ।

3.16. **"संबंधित पक्ष संव्यवहार" (आरपीटी)** का अर्थ एलओडीआर के विनियम 2(1)(जेडसी) के तहत परिभाषित संव्यवहार और जिसमें अनुबंध में एकल संव्यवहार या समूह संव्यवहार है ।

3.17. **"रिश्तेदार"** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और एलओडीआर के विनियमन 2(1)(जेडडी) के तहत परिभाषित किया जाएगा ।

3.18. **"सहायक कंपनी"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) में परिभाषित सहायक कंपनी से है ।

इस नीति के तहत विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए शब्द कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर से अपना अर्थ/परिभाषा प्राप्त करेंगे ।

4. संबंधित पक्ष संव्यवहार के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया

4.1. लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन

1. निम्नलिखित के लिए लेखापरीक्षा समिति के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा होगी:
   क. सभी संबंधित पक्ष संव्यवहार और उसमें बाद में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधन;

ख. सभी संबंधित पक्ष संव्यवहार जिसमें कंपनी की सहायक कंपनी एक पक्ष है लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है, यदि इस तरह के संव्यवहार का मूल्य व्यक्तिगत रूप से या कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर के दस प्रतिशत से अधिक एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले संव्यवहार के साथ दर्ज किया गया है ।
सूचीबद्ध सहायक कंपनी के मामले में, संबंधित पक्ष संव्यवहार जिसमें सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है, यदि एलओडीआर के विनियम 15 के विनियमन 23 और उप-विनियम (2) ऐसे सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं , के लिए कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।
व्याख्या: एक सूचीबद्ध सहायक कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबंधित पक्ष संव्यवहार के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन पर्याप्त होगा ।

2. किसी प्रस्तावित आरपीटी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूचना को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा:

   क. प्रस्तावित संव्यवहार का प्रकार, भौतिक शर्तें और विवरण;
   ख. संबंधित पक्ष का नाम और कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसका व्यवसाय या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;
   ग. प्रस्तावित संव्यवहार का कार्यकाल (विशेष कार्यकाल निर्दिष्ट किया जाएगा);

   घ. प्रस्तावित संव्यवहार का मूल्य;
   ङ. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित संव्यवहार के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (और आरपीटी जिसमें एक सहायक कंपनी शामिल है, के लिए एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर इस तरह के गणना किए गए प्रतिशत अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा);
   च. यदि संव्यवहार किसी ऋण, अंत:-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से संबंधित है:
      i. प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में निधि के स्रोत का विवरण;
      ii. जहां ऋण, अंत:कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होती है:
         - ऋणग्रस्तता की प्रकृति;
         - निधियों की लागत; और
         - अवधि

iii. पारस्परिक संविदा, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या अप्रतिभूति; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति; और
iv. आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा ।
   छ. आरपीटी कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य;

ज. मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है;

झ. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;

ञ. कोई अन्य जानकारी जो लेखा परीक्षा समिति के लिए प्रासंगिक हो सकती है।

3. दीर्घावधि (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति को लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के लिए वार्षिक आधार पर रखा जाएगा।

4. इस नीति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन संचलन के माध्यम से भी प्रस्ताव पारित करके प्राप्त किया जा सकता है ।

5. आरपीटी को केवल लेखापरीक्षा समिति के उन सदस्यों जो स्वतंत्र निदेशक हैं, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

6. लेखापरीक्षा समिति द्वारा बहुप्रयोजन अनुमोदन

I. लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्ष संव्यवहार के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन प्रदान कर सकती है। बहुप्रयोजन अनुमोदन के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करते समय, लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:

क. संव्यवहार की पुनरावर्तन (अतीत में या भविष्य में);

ख. बहुप्रयोजन अनुमोदन की आवश्यकता का औचित्य; और

ग. पुनरावर्तन संव्यवहार के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन की आवश्यकता है और यह कि ऐसा अनुमोदन कंपनी के हित में है ।

II. लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखे गए बहुप्रयोजन अनुमोदन के प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

क. संबंधित पक्ष का नाम (नाम);

ख. संव्यवहार की अवधि;

ग. संव्यवहार की अधिकतम राशि जिसे प्रविष्ट की जा सकता है;

घ. सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो; और

ङ. प्रस्तावित संव्यवहार पर निर्णय लेने के लिए लेखा परीक्षा समिति के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी ।

III. जहां संबंधित पक्ष के संव्यवहार का पूर्वज्ञात नहीं किया जा सकता है और फर्म विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे संव्यवहार के लिए सर्वव्यापक स्वीकृति दे सकती है, जिसका मूल्य प्रति संव्यवहार 1 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) से अधिक नहीं है।

IV. बहुप्रयोजन अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक नहीं, अवधि के लिए वैध होगा और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

V. कंपनी के उपक्रम की बिक्री या निपटान के संबंध में संव्यवहार के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन नहीं किया जाएगा ।

VI. लेखा परीक्षा समिति द्वारा दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजन अनुमोदन के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष संव्यवहार का विवरण लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के लिए तिमाही आधार पर रखा जाएगा ।

4.2. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन

1. बोर्ड की बैठक में संकल्प द्वारा दिए गए निदेशक मंडल की पूर्व सहमति के अलावा, कंपनी संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध या प्रबन्ध नहीं करेगी ।

अनुबंध या प्रबन्ध की प्रकृति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

क. किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;
ख. किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना या खरीदना;
ग. किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;
घ. किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;

ङ. माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;
च. ऐसी संबंधित पार्टी की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्ति; तथा
छ. कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सब्सक्रिपशन को हामीदारी करना।

अभिव्यक्ति "कार्यालय या लाभ का स्थान" का अर्थ किसी कार्यालय या स्थान से है-

(i) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि इसे धारण करने वाला निदेशक कंपनी से पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है, जिसके लिए वह वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास, या अन्यथा के रूप में निदेशक के तौर पर हकदार है,
(ii) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान निदेशक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी फर्म, निजी कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट द्वारा धारण किया जाता है, यदि व्यक्ति, फर्म, निजी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट कंपनी से कुछ भी पारिश्रमिक, वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास, या अन्यथा के तौर पर प्राप्त करता है ।

2. कंपनी द्वारा अपने सामान्य कारोबार में किए जाने वाले किसी भी संव्यवहार के लिए बोर्ड की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी और अपनी सीमा के अंदर कार्य किया जाएगा।

4.2. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

1. सभी सामग्री आरपीटी और उसके बाद के भौतिक संशोधनों को कंपनी के शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन के साथ एक संकल्प (अधिनियम या विनियम के तहत विशेष / सामान्य, जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है) के तहत दर्ज किया जाएगा।

2. संबंधित पार्टियों की परिभाषा के तहत आने वाली संस्थाएं संबंधित पार्टी संव्यवहार को मंजूरी देने के लिए वोट नहीं देंगी, भले ही इकाई विशेष संव्यवहार के लिए एक पार्टी हो या नहीं।

3. सामग्री आरपीटी और उसके बाद के सामग्री संशोधनों के लिए निम्नलिखित मामलों में शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:
   क. कोई भी संव्यवहार जो कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में किया जाना है और अपनी सीमा के अंदर कार्य किया जाए।
   ख. किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ आरपीटी दर्ज किया जाना;
   ग. कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिनके खाते कंपनी के साथ समेकित हैं, के बीच आरपीटी दर्ज किया जाना है;
   घ. कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच संव्यवहार, जिनके खाते कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखे गए हैं; तथा
   ङ. आरपीटी जिसके लिए कंपनी की सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पार्टी है, लेकिन कंपनी एक पार्टी नहीं है, यदि एलओडीआर के विनियम 23 और विनियम 15 के उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।

4.3. अनुमोदन तंत्र का सारांश

सभी संबंधित पार्टी संव्यवहार और उसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन	लेखा परीक्षा समिति
ऊपर 4.2.1 पर आरपीटी जो व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं हैं या अपनी कार्य सीमा के अंदर नहीं हैं या दोनों (एक महत्वपूर्ण आरपीटी नहीं)	1. बोर्ड को लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन और सिफारिश 2. बोर्ड द्वारा अनुमोदन
ऊपर 4.2.1 पर आरपीटी जो व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं हैं या अपनी कार्य सीमा के अंदर नहीं हैं या दोनों (महत्वपूर्ण आरपीटी)	1. बोर्ड को लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन और सिफारिश 2. शेयरधारकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदन और सिफारिश 3. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन
ऊपर 4.3.1 पर सामग्री आरपीटी और बाद में महत्वपूर्ण संशोधन	

5. जिम्मेवारियां

क. प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी पहले से किए गए खुलासे में कोई बदलाव होता है, तो इस तरह के परिवर्तन के बाद आयोजित पहली बोर्ड बैठक में, किसी भी कंपनी या कंपनियों या निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों, या व्यक्तियों के अन्य संघ जिसमें शेयरधारिता शामिल होगी, में अपनी चिंता या रुचि का खुलासा करें ।

ख. कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या किए गए व्यवस्था या किए जाने वाले व्यवस्था में संबंध या रुचि रखता है -

i. एक निगमित निकाय के साथ जिसमें ऐसा निदेशक या ऐसा निदेशक किसी अन्य निदेशक के साथ मिलकर उस निकाय कारपोरेट की दो प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता रखता है, या उस निगमित निकाय का प्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है; या
ii. एक फर्म या अन्य इकाई के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक एक भागीदार, मालिक या सदस्य है, जैसा भी मामला हो, बोर्ड की बैठक में अपनी चिंता या रुचि की प्रकृति का खुलासा करेगा जिसमें संविदा या व्यवस्था पर चर्चा की जाती है और वे ऐसी बैठक में भाग नही लेगें।

बशर्ते कि जहां कोई निदेशक जो इस तरह के संविदा या व्यवस्था में प्रवेश करने के समय इतना संबंध या रूचि नहीं रखता है, अगर वह संविदा या व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद संबंध या रुचि रखता है, तो वह अपने संबंध या रुचि को तुरंत प्रकट करेगा या ऐसी संबंध या रुचि होने के बाद आयोजित की जाने वाली बोर्ड की पहली बैठक में वे अपने संबंध या रुचि को स्पष्ट करेगें ।

ग. संबंधित कार्यात्मक निदेशक निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होंगे:
i. इस नीति के अनुसार संबंधित पार्टी संव्यवहार(ओं) (सर्वव्यापी अनुमोदन और/या अनुसमर्थन और/या सामग्री संशोधन सहित) के अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मंडल के समक्ष एजेंडा रखना ।
ii. लेखा परीक्षा समिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना:
क. तिमाही आधार पर ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा के लिए ऑडिट कमेटी को दिए गए प्रत्येक सर्वव्यापक अनुमोदन के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पार्टी संव्यवहार का विवरण।
ख. वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के लिए दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति।

घ. कंपनी सचिव, यदि आवश्यक हो, अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष एजेंडा रखेगा।

6. संबंधित पार्टी संव्यवहार का अनुसमर्थन

क. यदि संबंधित पार्टी संव्यवहार में शामिल होने के लिए लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति संभव नहीं है, तो संबंधित पार्टी संव्यवहार को लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों द्वारा 3 (तीन) महीनों के भीतर पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए संबंधित पार्टी संव्यवहार में शामिल होने के लिए अनुसमर्थन हेतु रखा जाएगा, यदि आवश्यक हो।
ख. यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित पार्टी संव्यवहार की पुष्टि नहीं की जाती है, तो ऐसी संविदा या व्यवस्था लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों (जैसा भी मामला हो) के विकल्प पर शून्य हो जाएगी और यदि संविदा या व्यवस्था कोई निदेशक के संबंधित पार्टी के साथ है, या किसी अन्य

निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

ग. किसी भी मामले में जहां या तो लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारक किसी पूर्व अनुमोदन के बिना शुरू किए गए संबंधित पार्टी संव्यवहार की अनुसमर्थन नहीं करने का निर्धारण करते हैं, तो इसे अनुसमर्थन के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए संव्यवहार को तत्काल बंद करने, या संव्यवहार के संशोधन सहित, लेकिन सीमित नहीं, अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं। ।

7. अपवाद

संबंधित पार्टी संव्यवहार की किसी भी समीक्षा के संबंध में, लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों को कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को संशोधित करने या हटाने का अधिकार है।

इस नीति के प्रावधानों और/या कंपनी अधिनियम, 2013 और/या एलओडीआर के बीच किसी भी अस्पष्टता के मामले में, प्रावधानों का अनुपालन जो अधिक आवश्यक हैं, सुनिश्चित किया जाएगा।

खुलासे

क. संबंधित पक्षों के साथ किए गए प्रत्येक संविदा या व्यवस्था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन से अपनी कार्य सीमा के अंदर नही है, को ऐसी संविदा या व्यवस्था को कार्यान्वित करने के औचित्य सहित शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट संदर्भित किया जाएगा।

ख. स्टॉक एक्सचेंजों, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रस्तुत कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ सभी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहार के विवरण का खुलासा त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।

ग. संबंधित पार्टी संव्यवहार का विवरण छमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

घ. कंपनी अपनी वेबसाइट पर इस नीति का खुलासा करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में इसका एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

ङ. सभी संबंधित पक्षों के नाम, संबंधों की प्रकृति और सभी संबंधित पार्टी संव्यवहार का विवरण लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाएगा।

च. कंपनी किसी भी संबंधित पार्टी के साथ सभी संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

8. नीति में आशोधन/संशोधन/समीक्षा

इस नीति में आशोधन/संशोधन, यदि कोई हो, कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से किया जाएगा। तथापि, नीति को प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के लिए रखा जाएगा।

****

इस नीति की अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच किसी भी विसंगतियों के मामले में, पॉलिसी का अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।